अनुसूची 14 फारम संख्या 562

न्यायलय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर- सरिया, गिरिडीह

आदेश पत्रक सावित्री देवी ....प्रथम पक्ष

बनाम

पक्ष शिव शंकर मंडल वगैरह ....द्वितीय पक्ष

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० ....से ....तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या ....152..........सन् 2021

धारा 144 द०प्र०स०

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे गें टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
21/08/21	आवेदिका सावित्री देवी, पति नन्दलाल मंडल, सा०-नगर कुशवारी, थाना-सरिया, जिला-गिरिडीह द्वारा द०प्र० सं० की धारा 144 के अन्तर्गत विवादित भूमि मौजा-नगरकुशवारी, खाता सं०-119, प्लॉट सं०-2428, रकबा-02 डी० चौहद्दी उ०-रास्ता, द०-मकान निज, पू०-रास्ता घरवारी प०-नीज में भू-विवाद के कारण निषेधाज्ञा लागू करने हेतु आवेदन दिया गया है। प्राप्त आवेदन पर जाँच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी / थाना प्रभारी सरिया से माँगें। अभिलेख दि० 02/09/21 को रखें। लेखापित एवं संशोधित [signature] [signature]	293 23/08/21

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
27/08/21	अभिलेख उपस्थापित। मैं थाना प्रभारी/अंचल अधिकारी....सरिया......के पत्रांक..2301/21 दिनांक....24/08/21........के द्वारा समर्पित किया गया जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद संतुष्ट हूँ कि भूमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर हैं, जिसके कारण उस क्षेत्र में शांति भंग, खून-खराबा तथा उपद्रव हो सकता है, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है। इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 144 द0प्र0सं0 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है साथ ही उभय पक्षों से दिनांक ..09/09/21......को कारण-पृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पुष्ट किया जाय। लेखापित एवं संशोधित। अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया। अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया।	
09/09/21	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अधिवक्ता के माध्यम से उप०	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
23/09/21	प्रथम पक्ष वकालतन हाजिर है। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। अभिलेख 21/10/21 को रखें। अनु० प०दा०	
21/10/21	द्वितीय पक्ष उपस्थित। प्रथम पक्ष अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल किया गया। थाना प्रभारी के प्रतिवेदन एवं द्वितीय पक्ष द्वारा दाखिल कारण पृच्छा का अवलोकन किया। प्रश्नगत की भूमि पर मकान निर्मित है। ऐसी परिस्थिति में निषेधाज्ञा की कार्रवाई चलाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। 21/10	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2021.10.22 13:23:37 +05:30
Location: 192.168.43.238